मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 4555/1121/2020/अ-तेहत्तर **भोपाल, दिनांक 2 /12/2020**

प्रति,

1. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, मध्यप्रदेश
3. समस्त महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मध्यप्रदेश

विषय :- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की सेवा क्रमांक 24.7 एमएसएमई विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल प्रदाय की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-12-लोसेप्र-इकसठ-1-पीएसजी-24, दिनांक 01 नवम्बर, 2020

ക്കൈ

1. **सेवा का उद्देश्य** :- इस सेवा का उद्देश्य एमएसएमई विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल प्रदाय की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र प्रदान करना है।

2. **पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा** :- इस सेवा के लिये पदाभिहित अधिकारी महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र होंगे। यह सेवा पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 15 कार्य दिवस में दी जायेगी।

3. **आवेदन का प्रारूप** :- इस सेवा के लिये आवेदन संलग्न प्रारूप **(परिशिष्ट- 1)** में दिया जावेगा।

4. **पात्रता की शर्तें** :- एमएसएमई विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित/स्थापनाधीन ऐसे उद्योग, जिनके उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया में जल एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस सेवा हेतु पात्र होगे।

5. **आवश्यक दस्तावेज :-**

5.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अंतर्गत उद्[illegible]म रजिस्ट्रेशन, यदि इकाई पूर्व से स्थापित है।

5.2 एमएसएमई विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित/स्थापना[illegible]न उद्योग के पक्ष में जारी भू-आवंटन आदेश की स्वप्रमाणित प्रति।

5.3 इकाई की उत्पादन की प्रक्रिया में जल के उपयोग को प्रमाणित करने [illegible]ले दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति।

5.4 निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा पत्र **(परिशिष्ट - 2)**

6. **आवेदन करने एवं पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही**

6.1 सेवा प्राप्त करने के लिये कंडिका 3 बताये अनुसार संलग्न प्रारूप एवं कंडि[illegible]-5 में दर्शाये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधि[illegible]री (संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र) को ऑनलाईन प्र[illegible]तुत किया जायेगा।

6.2 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति [illegible]ोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत ऑनलाई[illegible] दी जावेगी। अभिस्वीकृति में निराकरण की समय-सीमा का उल्लेख किया जावेग[illegible]

6.3 पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में समय-सीमा में सेवा प्रदान की ज[illegible]एगी। यदि आवेदन अपूर्ण हैं तो कमियों का उल्लेख कर आवेदन वापस किया जाए[illegible]ा।

6.4 आवेदन लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आयडी का उल्ले[illegible] भी कराया जावेगा, ताकि आवश्यकतानुसार एसएमएस/ई-मेल से अलर्ट कि[illegible] जा सके।

6.5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, [illegible]पील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नि[illegible]म-16 में निर्धारित पंजी में किया जायेगा। एक ही आवेदन का पृथक-पृथक पं[illegible]यों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।

6.6 संबंधित पदाभिहित अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर [illegible]थाशीघ्र परंतु निर्धारित समय-सीमा में आवेदन का निराकरण किया जावेगा।

6.7 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी सूचना कारण सहित आवेदक को लिखित में ऑनलाईन दी जावेगी।

7. **आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया :-**

7.1 आवेदक द्वारा अपना आवेदन पदाभिहित अधिकारी (महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र) को ऑनलाईन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

7.2 पदाभिहित अधिकारी को आवेदन कंडिका-6 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।

7.3 पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण एवं यथासंभव सत्यापन कराया जाएगा। पूर्ण आवेदन प्राप्त होने एवं संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में जल की अनुपलब्धता होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में इकाई को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। **(परिशिष्ट -)**

7.4 यदि पदाभिहित अधिकारी यह पाता है कि कतिपय कारणों से प्रमाण पत्र दिया जाना संभव नहीं है, तो वह लिखित में कारण दर्शाते हुए आवेदन पत्र निरस्त करेगा एवं इसकी सूचना संबंधित को नियत समयावधि में दी जावेगी।

8. **शुल्क** :- इस सेवा को प्राप्त करने के लिये कोई प्रशासनिक शुल्क देय नहीं है।

9. **अपील** :- आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर अपील निम्नानुसार की जा सकेंगी-

(अ) <u>प्रथम अपील</u> - महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा निर्धारित समय सीमा में जल प्रदाय की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र जारी नहीं करने या आवेदन निरस्ती का कारण नहीं लिखित नहीं देने पर प्रथम अपील संबंधित परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय को होगी जो 07 कार्य दिवस में अपील का निराकरण करेंगे।

(ब) <u>द्वितीय अपील</u> - प्रथम अपीलीय अधिकारी परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील उद्योग आयुक्त, म.प्र. को प्रस्तुत की जाएगी।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

भोपाल, दिनांक 2 /12/202

पृ. क्रमांक 1456 /1121/2020/अ-तेहत्तर

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

एमएसएमई विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल प्रदाय की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
......................., म.प्र.।

विषय :- औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल प्रदाय की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु।

संदर्भ :- औद्योगिक क्षेत्र .... जिला .... में स्थापित/स्थापनाधीन इकाई .... हेतु जल की आवश्यकता।

मैं/हमारे द्वारा औद्योगिक क्षेत्र .... जिला ...., मध्यप्रदेश में स्थापित/स्थापनाधीन हेतु जल की आवश्यकता है। इकाई द्वारा निर्मित उत्पाद .... की उत्पादन की प्रक्रिया में जल की आवश्यकता है। परंतु औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यकता के विरूद्ध पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होने से आगामी कार्यवाही हेतु जल प्रदाय की अनुपलब्धता के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। मेरी/हमारी इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. इकाई का नाम :

02. इकाई का स्थल :
(औद्योगिक क्षेत्र का नाम एवं प्लॉट क्रमांक)
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला

03. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अंतर्गत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (यदि इकाई स्थापित हो, तो, लागू होन पर उद्यम रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करे) :

04. इकाई के उत्पाद का नाम :

05. संक्षेप में उत्पादन की प्रक्रिया एवं जल की आवश्यकता (उत्पादन प्रक्रिया में जल की आवश्यकता को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) :

06. औद्योगिक क्षेत्र में इकाई को आवंटित भूमि का आवंटन आदेश का क्रमांक व दिनांक (आदेश की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करे) :

कृपया जल अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम..

पद..

(सील)

परिशिष्ट - 2

औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल प्रदाय की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिये जाने वाले स्व-घोषणा पत्र का प्रारूप

मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं /करते हैं कि :-

1. मेरे/हमारे द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल प्रदाय की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक .... में दी गई जानकारी सत्य है।
2. मेरी/हमारी इकाई की उत्पादन की प्रक्रिया में जल की आवश्यकता है। परंतु औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यकता के विरूद्ध पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है।
3. मेरी/हमारी इकाई द्वारा आवंटित भू-खण्ड की आवेदन दिनांक तक की समस्त देनदारियाँ विभाग में जमा की जा चुकी है।

स्थान :-

दिनांक :-

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम :- ....

(सील)

परिशिष्ट - 3

औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल प्रदाय की अनुपलब्धता के प्रमाण पत्र का प्रारूप

कार्यालय महाप्रबंधक

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ...

क्रमांक ..../अधो.वि./ ...., दिनांक ....

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, इकाई ...., सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्र ...., तहसील .... जिला .... के प्लॉट क्रमांक ...., में स्थापित/स्थापनाधीन है। इकाई की उत्पादन की प्रक्रिया में जल की आवश्यकता है। परंतु औद्योगिक क्षेत्र में इकाई की आवश्यकता के विरुद्ध पर्याप्त जल प्रदाय उपलब्ध नहीं हैं।

स्थान :- ....

दिनांक :- ....

(महाप्रबंधक के हस्ताक्षर)

महाप्रबंधक

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

....